न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 105/2020

अन्तर्गत धारा 88, 188 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मनजिन्द्र सिह पुत्र गुरजन्ट सिह जाति जट सिख साकिन गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्री गगांनगर राज0

—— वादी

बनाम

1. गुरजन्ट सिह पुत्र श्री मुख्यार सिह जाति जट सिख साकिन गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्री गगानगर राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री हंसराज तनेजा (वादी)
अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रति.–2)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 15.04.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वाके चक 16 एफ बडा, पटवार हल्का मटीली राठान ए तहसील व जिला श्री गगानगर के खाता संख्या 25/18 मुरबा न0 38 में 3.162 है। नहरी , मुरबा न0 54 में 0.203 है। नहरी इस प्रकार से कुल 3.365 है। नहरी भूमि वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 वादी के पिता गुरजन्ट सिह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड है। जिसको बाद पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। नकल जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है । वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पूर्वजो के नाम से पूर्व में राजस्व रिकार्ड में अंकन थी। वादी के दादा के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी स0 1 के नाम व उसके भाईयो के नाम से अलग अलग खातो में राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गई। वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि वादी के पूर्वजो की थी । उसके उपरान्त वादी के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गई जिसमे वादी का हक व हिस्सा है क्योकि उक्त कृषि भूमि वादी की जदी जायदाद होने से वादी का उस पर जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की जदी जायदाद है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा बनता है जो वादी पाने का अधिकारी है वादी को प्रतिवादी ने पूर्व मे ही उक्त भूमि में से मुरबा न0 38 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक सालम, किला न0 9 सालम, तथा किला न0 10 में 0.214 है0 तथा मु0न054 की किला न0 22/1 में 0.203 हैक. कुल 1.721 है। भूमि घरू बंटवारा में दे रखी है। जिसको वादी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है। पूर्व मे वादी ने प्रतिवादी स0 1 को निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि जदी जायदाद है जिसमे वादी व प्रति0 का बराबर बराबर हक व हिस्सा है जिसको प्रति० स० 1 वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा देवे। परन्तु प्रतिवादी टाल मटोल करता रहा है आखिर कार प्रति0 स01 ने दिनांक 16.8.2020 को ऐसा करने से इन्कार कर दिया और कृषि भूमि आगे अन्तरण की फिराक में है इसलिए वादी न्यायालय के समक्ष वाद घोषणा एवम करने की फिराक में विभाजन का प्रस्तुत कर रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी स01 से किसी अन्य को भी कृषि भूमि को अन्तरण करने की फिराक में है। अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वादी अपने हक व अधिकारो से वंचित हो जावेगा क्योकि वादी का उक्त विवादित कृषि भूमि में 1/2 का हक व हिस्सा है। इसलिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में लाना जरूरी हो गया है। विवादित कृषि भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 का बराबर बराबर हक व हिस्सा है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

इसलिए समस्त में उक्त कृषि भूमि बराबर बराबर विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया :–

(क) कि घोषणात्मक इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादी कृषि भूमि चक 16 एफ बडा, पटवार हल्का मटीली राठान ए, तह व जिला श्री गगानगर के खाता संख्या 25/18 मुरबा न0 38 में 3.162 हैक. नहरी, मुरबा न0 54 में 0.203 हैक. नहरी इस प्रकार से कुल 3.365 हैक. नहरी जद्दी जायदाद होने से वादी का इसमे जन्म से हक व हिस्सा है वादी को 1/2 हिस्सा पूर्व में दिये घरू बंटवारा अनुसार मु0 न0 38 के कि0 न0 1 ता 4 प्रत्येक सालम, कि0 न0 9 सालम, तथा कि0न0 10 में 0.214 है0 तथा मु0न0 54 की कि0न0 22/1 में 0.203 हैक. कुल 1.721 हैक. खातेदार घोषित किया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादी स0 1 के विरूध इस आश्य की निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 16 एफ बडा, पटवार हल्का मटीली राठान ए, तहसील व जिला श्री गगानगर के खाता संख्या 25/18 मुरबा न0 38 में 3.162 हैक. नहरी, मुरबा न0 54 में 0.203 हैक. नहरी इस प्रकार से कुल 3.365 हैक. नहरी भूमि को वाद के निस्तारण तक रहन बैय व दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे।

(ग) खर्चा वाद, वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे ।

(घ) अन्य अनुतोष जो वादी के हित मे हो वह भी वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 09.03.2021 को राजीनामा पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी मुकदमा मे हम फरीकेन का पंचायत ने आपस मे राजीनामा करवाया है जिसके अनुसार प्रतिवादी के नाम दर्ज कृषि भूमि 16 एफ बडा पटवार हल्का मटीली राठान के खाता सं0 25/18, मु0 न0 38 का 3.162 है0, मु0 न0 54 मे 0.203 है0 कुल 3. 365 है0 प्रतिवादी को उसके पूर्वजो से मिली होने के कारण वादी व प्रतिवादी के संयुक्त हिन्दु परिवार की जददी व अविजात सम्पति के रूप मे प्रतिवादी के नाम दर्ज चली आ रही होने से प्रतिवादी ने पारिवारिक समझौता मे उपरोक्त भूमि मे से मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 4 सालम, किला न0 9 सालम, किला न0 10 मे 0.214 है0 तथा मु० न0 54 के किला न0 22/1 मे 0.203 है। कुल 1.721 है। वादी को दी हुई है जिस पर कब्जा वादी का ही चला आ रहा है, अतः इस भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे इसमे प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि वह वादी के अधिकारो को पूर्ण रूप से स्वीकार करता था। उपरोक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार होने की सहमति करता है शेष भूमि प्रतिवादी के नाम ही दर्ज रहेगी। लिहाजा यह राजीनामा पेश है कि इसके अनुसार दावा डिकी करते हुए चक 16 एफ बडा के खाता सं0 25/18, मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 4 व 9 सालम किला न0 10 मे 0.214 है। व म0 न0 54 के किला न0 22/1 मे 0.203 हैक. कुल 1.721 है0 का वादी को खातेदार घोषित करते हुए उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने मामला लगान वादी के नाम कायम करने का आदेश फरमाया जावे खर्चा फरीकने अपना अपना वहन करेगे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (वादी का पिता) का कुर्सीनामा पेश किया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी गुरजंटसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री जसप्रीत कौर पुत्री गुरजंट सिंह का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 16 एफ बडा, पटवार हल्का मटीलीराठान ए भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला, खाता संख्या 25/18 पेश की। वादी द्वारा विरास्तन साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 16 एफ बडा, पटवार हल्का मटीलीराठान ए भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला, खाता संख्या 2/3 पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादी मनजिन्द्रसिंह को चक 16 एफ बडा, पटवार हल्का मटीली राठान ए, तह व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25/18 मुरबा न0 38 में 3.162 हैक. नहरी, मुरबा न0 54 में 0.203 हैक. नहरी इस प्रकार से कुल 3.365 हैक. में से मु0 न0 38 के कि0 न0 1 ता 4 प्रत्येक सालम, कि0 न0 9 सालम, तथा कि0न0 10 में 0.214 है0 तथा मु0न0 54 के कि0न0 22/1 में 0.203 हैक. कुल 1.682 हैक. का खातेदार घोषित किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.04.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (सीमान्त) एवं
पदेन श्रीगंगानगर कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner